# FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत---अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

सरकार जरिये तहसीलदार, दौसा बनाम छगनलाल

किस्म मुकदमा– रेफरेंस नम्बरः 164 सन् 2015

| तारीक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश दिनांक 21.12.2017 व 22.12.2017 द्वारा अब्दुल रहमान से संबंधित विचाराधीन रेफरेंस प्रकरणों का पुनः निरीक्षण (Review) करने की पालना में पत्रावली आज पेश हुई। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेफरेंस से संबंधित वॉछित अभिलेख इस पत्रावली में संलग्न नहीं है। इसके बिना निर्णय पारित करना संभव नहीं है। अतः संबंधित तहसीलदार को प्रकरण की कमी–पूर्ति हेतु मूल पत्रावली इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाता है कि रेफरेंस से संबंधित निम्नांकित अभिलेखः–<br>1. रेफरेंस भूमि का पूर्ण विवरण<br>2. जमा बंदी 15 अगस्त, 1947 संवत--2004 (2003--2004)<br>3. वर्तमान जमाबंदी व नामान्तरकरण आदेश<br>4. मिलान क्षेत्रफल (सेटलमेंट अनुसार) मय जमाबंदी/खतौनी एकीकरण विभाग<br>5. नक्शा ट्रेस (सेटलमेंट अनुसार)<br>6. किस्म परिवर्तन आदेश<br>7. आवंटन/नियमन आदेश<br>8. आवंटित/नियमित की गई भूमि में से शेष रही भूमि का विवरण आदि की पूर्ति की जाकर रेफरेंस नये सिरे से अर्थात अप्रार्थीगण की मृत्यु या अन्य कारण से प्रकरण में परिवर्तन है, तो उनके वारिसों के आधार पर पूर्ण पता अंकित करते हुए और यदि प्रकरण समान प्रकृति के है, तो उनको इकजाई करते हुए एक माह के भीतर–भीतर राजकीय अधिवक्ता के माध्यम दो–दो प्रतियों में आवश्यक रुप से पेश करें।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।<br>(राजवीर सिंह चौधरी)<br>अति. जिला कलक्टर<br>दौसा | |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official